

2018/00190

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम गुरुग
हसी पालोया 14ML

किस्म मुकदमा दुरुस्ती

मुकदमा नं. 53
15/5/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/124 दिनांक 15/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 3mk में प्रार्थीगण के नाम चक 14ML की जमाबन्दी सम्वत् 2079 के खाता नं. 189 में खातेदार <u>मीरा शशी दत्ता पी. लोया</u> अंकित है। जिसका नाम <u>मीरा शशी दत्ता पी. लोया</u> है। जिसकी <u>मीरा शशी दत्ता पी. लोया</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 15/5/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 14ML के खाता नं. 189 में दर्ज खातेदार <u>मीरा शशी दत्ता पी. लोया</u> दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फँसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उपजिला कलक्टर
न्यायसिंहनगर-2018
कैम्प कोर्ट 3mk
सपरखाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर